बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 11.01.25

संॉसं0–17/विविध–01–207/2024 35(17) बिहार सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एव (सशोधन) नियमावली, 2013 मे निहित प्रावधानों के आलोक मे राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों मे सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:–

[PHYSIOLOGY-DEGREE]								
S.NO.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9240000042	SAVITA	SC	UR	17-09-1978	F	BHS	NMCH Patna
2	9240000531	DHARMENDRA KUMAR	EB	UR	18-12-1982	M	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
3	9240000045	ALOK KUMAR	EB	UR	07-09-1984	M	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
4	9240000067	GITANJALI	BC	UR	03-02-1990	F	BHS	DMCH, Darbhanga
5	9240000071	KALPANA KUMARI SINGH	BC	UR	24-02-1983	F	BHS	NMCH Patna
6	9240000179	AYUSHI	UR	UR	23-02-1994	F	N	DMCH, Darbhanga
7	9240000232	AMIT GUPTA	UR	UR	24-01-1988	M	BHS	PMCH Patna
8	9240000258	NIRMAL KUMAR	BC	UR	05-01-1989	M	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
9	9240000031	ASHISH RAJ	EB	UR	25-08-1989	M	N	GMC Bettiah
10	9240000199	RASHMI SHANKAR	BC	UR	10-12-1982	F	BHS	JNKTMCH Madhepura
11	9240000233	ARSHIA HASSAN	UR	UR	02-04-1990	F	N	BMIMS Pawapuri, Nalanda
12	9240000118	KAUSHAL KISHOR KESHARI	BC	UR	03-01-1979	M	BHS	ANMMCH, Gaya
13	9240000092	KHUSHBU RANI	EB	UR	05-01-1987	F	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
14	9240000235	MD KABIR ALAM	EB	UR	01-01-1979	M	BHS	GMC Purnea
15	9240000190	AJEET KUMAR	SC	UR	02-02-1984	M	BHS	JNKTMCH Madhepura
16	9240000364	SHUBH LAXMI	UR	UR	01-05-1998	F	N	ANMMCH, Gaya
17	9240000020	SAMEER	EB	UR	27-11-1998	M	N	GMC Bettiah

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. EWS कोटि मे अभ्यर्थियो का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम–11 के अन्तर्गत किया गया है।

4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।

5. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सको को जो वेतन एव भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एव अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि मे देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियॉ नियमानुसार की जायेगी।

11/01/2025

6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी बाह्य चिकित्सको को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एव कटौतियाँ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11.01.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरात वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग मे योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेगे।
8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** *अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।* योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने सबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगें।
9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त संस्थान के अन्य विभाग मे सीनियर रेजिडेट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हों तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग मे समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेट/ट्यूटर यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनो तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
12. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–207/2024 – 35(17) पटना/दिनांक– 11.01.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के सबधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 11/01/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।